न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.4/2016
पंजीयन दिनांक 08.01.2016

(1). नारायण पिता ऐका जाति भील निवासी देलवास, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). चम्पालाल पिता गंगाराम जाति सालवी निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). शंकरलाल पिता गंगाराम जाति सालवी निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). लक्ष्मीलाल पिता गोपीलाल जाति सालवी निवासी बिलोट तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला , तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला
प्रकरण संख्या 04/2014 निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.10.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). मदन त्रिपाठी-अधिवक्ता अपीलांट
(2). ख्यालीलाल सुखवाल-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4

निर्णय **दिनांक 21.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए के अन्तर्गत अपीलांट विपक्षी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की मौजा देलवास तहसील डूंगला की आराजी 1104 रकबा 1.31 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थीगण

रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता आराजी संख्या 1105 व आराजी संख्या 1103 की मध्य की पाली से होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की आराजी तक जाता है। उक्त रास्ते का कई वर्षो से उपयोग उपभोग प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 शान्तिपूर्वक करते हुए चले आ रहे है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 अपीलांट आये दिन प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 को आने-जाने मे व्यवधान पैदा करता है। अन्त मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 1104 पर आने-जाने हेतु देलवास से बड़ीसादड़ी आम रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 1 अपीलांट की आराजी संख्या 1103 के पूर्वी दिशा पर स्थित मेड़ पर होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात तक आने-जाने हेतु विद्यमान उक्त रास्ते को 20 फीट चौड़ा कर राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 अपीलांट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष कथन प्रस्तुत कर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा वांछित रास्ते का उपयोग उपभोग पूर्व मे कभी नहीं किया गया है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 उनकी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात मे आवागमन हेतु आराजी संख्या 1088/1 एवं 1088/2 में स्थित कदीमी रास्ता विद्यमान होकर प्रार्थीगण व उसके पूर्वाधिकारी वक्ता , मोडा, रूपा पिता नारायण जो हमेशा से उक्त वर्णित आराजीयात पर स्थित इसी कदीमी रास्ते से ही आवागमन करते चले आ रहे है। साथ ही प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का यह कथन भी मिथ्या हे कि उनकी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता विपक्षी संख्या 1 अपीलांट की खातेदारी की आराजी संख्या 1103 मे स्थित है। साथ ही प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने विवादित रास्ते बाबत सिविल न्यायालय डूंगला मे वाद संख्या 20/2013 दायर कर रखा है तथा उक्त रास्ते के विवाद का मामला सिविल न्यायालय डूंगला मे विचाराधीन होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। अन्त मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के प्रार्थना पत्र व विपक्षी संख्या 1 अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिनांक 28.10.2015 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो बड़ीसादड़ी से देलवास मार्ग पर विपक्षी संख्या 1 अपीलांट की आराजी संख्या 1103 के पूर्वी मेड़ से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1104 पर पंहुच मार्ग के रूप मे 20 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे बिलानाम रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाकर उक्त रास्ते को रास्ते के प्रयोजनार्थ विपक्षी संख्या 1 अपीलांट को भूमि के रूप मे होने वाली क्षति की भूमि का मूल्यांकन डी.एल.सी. दर से कर भूमि की कीमत विपक्षी संख्या 1 को क्षतिपूर्ति के रूप मे प्राप्त करने का हकदार होने से उक्त क्षतिपूर्ति राशी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा अदा की जावे इस हेतु तहसीलदार डूंगला को आदेश पारित किया कि मौका मुआयना कर 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम करावे तथा जितनी भूमि रास्ते के प्रयोजनार्थ उपयोग मे ली जावेगी उसकी वर्तमान डी.एल.सी. कीमत कायम करे एक माह मे रिपोर्ट प्रस्तुत करे तदनुसार विपक्षी संख्या 1 अपीलांट मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.10.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान के अभिवचनों को बिना पढ़े व बिना मनन किये तथा विवाद को गहराई से समझे बिना ही अधूरे विवाद बिन्दु कायम कर प्रकरण का निस्तारण किया है। अपीलांट विपक्षी संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1104 पर आवागमन हेतु मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो आराजी संख्या 1088/1 व 1088/2 से होकर आगे रामगोपाल व नन्दा डांगी की आराजीयात मे मौजूद कदीमी रास्ते से होकर आगे यह रास्ता देलवास से बिलोट जाने वाले आम रास्ते मे मिल जाता है जिसको रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1 से 3 प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी वक्ता, मोड़ा , रूपा ने आराजी संख्या 1104 को रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को विक्रय के साथ दिया था तथा वक्ता, मोड़ा, रूपा ने आराजी संख्या 1104 हीरालाल नागदा से खरीदी थी जो कि आराजी संख्या 1104, 1088/1 एवं 1088/2 कुल किता 3 का अकेला मालिक व खातेदार था तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर स्थित रास्ते से आराजी संख्या 1104 पर आया-जाया करता था। इस कारण आराजी संख्या 1104 पर उसके बाद के उत्तराधिकारियों के लिए भी उक्त वर्णित रास्ता ही चालू एंव कायम रहा तथा रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण आज भी उक्त वर्णित रास्ते से होकर ही आया-जाया करते है। इस प्रकार उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद होने से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण को विवादित रास्ते की आत्यान्तिक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी तथा इसी आधार पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा को समझे बिना तथा वैकल्पिक रास्ता होने संबंधि तनकी विरचित किये बिना ही मामले का आधा अधूरा विवेचन कर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी संख्या 1103 मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय डूंगला मे प्रस्तुत दीवानी प्रकरण में उदा पिता रामा निवासी देलवास की आराजी संख्या 1105 व अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1103 के बीच मे रास्ता चाहा गया है जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र मे केवल आराजी संख्या 1103 मे रास्ता चाहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण सिविल वाद मे रास्ते का आधा भाग उदा की आराजी मे व आधा भाग अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी मे स्थित होना बताता है जबकि हस्तगत मामले मे पूरा रास्ता केवल अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी मे से लेना चाहता है जो कि पूर्णतया गलत है, जिससे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया साथ ही अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत गवाह नाथू व रामेश्वर के शपथपत्रों पर कोई विचार नहीं किया गया तथा अपीलांट विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत की अनदेखी करते हुए व पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 की आराजी पर आने-जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता होना अपीलांट विपक्षी संख्या 1 द्वारा साबित नहीं कराया जाना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार डूंगला से मौके की रिपोर्ट तलब की बिना ही सिविल न्यायालय डूंगला की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर प्रार्थना पत्र निर्णित कर दिया जबकि उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट विपक्षी संख्या ने आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे नजर अन्दाज करते हुए उक्त मौका रिपोर्ट का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । उक्त मौका रिपोर्ट मे वैकल्पिक रास्ते की पुष्टि होती है परन्तु निर्णय मे इसका जिक नहीं किया है । उक्त समस्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.10.2015 निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलान्ट विपक्षी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.10.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट विपक्षी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान के अभिवचनो पर विचार करते हुए, पत्रावली मे प्रस्तुत सिविल न्यायालय डूंगला की मौका रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता अपीलांट विपक्षी संख्या की आराजीयात मे विद्यमान होने व इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट विपक्षी संख्या 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.10.2022 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट विपक्षी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी वक्ता, मोहा, रूपा ने आराजी संख्या 1104 उनके पश्चिमी पड़ोस की आराजी संख्या 1088/1 व 1088/2 के तत्समय के खातेदार स्वर्गीय हीरालाल से खरीदी थी। आराजी संख्या 1104, 1088/1 व 1088/2 एक चक होकर स्वर्गीय हीरालाल एक ही मालिक था जो अपनी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर नन्दा डांगी की खातेदारी की आराजी सख्या 1097 रकबा 0.56 हैक्टेयर मे स्थित गाड़ी गडार के रास्ते से होकर आगे उत्तर दिशा मे रामगोपाल डांगी की आराजी संख्या 1096/2 जिसका नवीन आराजी सख्यां 1479/1096 रकबा 0.35 हैक्टेयर है, की पश्चिम पाली पर स्थित गाड़ी गडार के रास्ते से होकर आगे उत्तर दिशा मे नन्दा डांगी की आराजी संख्या 1095/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर की पश्चिम पाली से होकर उक्त आराजी के उत्तर मे जुड़े गावं डेलवास जाने वाले आम रास्ते से होकर आता-जाता था तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 भी स्वयं की आराजीयात पर आने-जाने हेतु इसी कदीमी रास्ते से होकर अपनी आराजी पर बैलगाड़ी आदि लाते ले जाते रहे है । इस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 लम्बे समय से करते चले आ रहे है। इस प्रकार अपीलांट विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की आराजीयात पर आने-जाने हेतु उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होना बताया परन्तु अपीलांट विपक्षी संख्या 1 के जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन मे प्रस्तुत उक्त तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजी मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते के संबंध मे कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई। साथ ही पत्रावली मे प्रस्तुत सिविल न्यायालय डूंगला की पर्चा मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मानचित्र मे दर्शाया गया वैकल्पिक रास्ता जो नंदा डांगी की आराजी के उत्तर मे जुड़े गांव डेलवास जाने वाले आम रास्ते से होकर नंदा डांगी व गोपाल डांगी की पश्चिम पाली से होकर पूर्व दिशा मे मुड़कर नंदा डांगी की आराजी की दक्षिण मेड़ के सहारे आगे चलकर नंदा डांगी की पश्चिम मेड़ से होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की आराजी तक जाता है, उक्त वैकल्पिक रास्ते पर विचार किये बिना ही सिविल न्यायालय डूंगला की मौका रिपोर्ट के आधार पर एकमात्र वैकल्पिक रास्ता अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात मे होना मानकर अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात मे रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे विधि सम्मत नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रूप अपील अपीलांट विपक्षी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान चारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 04/2014 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.10.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तहसीलदार डूंगला से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, वैकल्पिक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आपत्ति व ऐतराज पर सुनवाई की जाकर , गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)